आवेदन के लिए अर्हता, आयु एवं निवास –

i. **शैक्षिक अर्हता** – डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षो में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व **माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/CBSE (सी.बी.एस.ई.)/ ICSE (आई. सी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा** एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वय) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।**

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

शासनादेश सं0 7/2016/720/15–7–2016 शिक्षा अनुभाग– 7, दिनांक 20.05. 2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद, विनियमों के अध्याय बारह (परीक्षा संबंधी समान्य विनियम) के विनियम–17(7) में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्षता प्रदान की गयी है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इण्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे।

ii. **आयु** – आवेदन हेतु **अभ्यर्थी की आयु** जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया जायेगा, अर्थात् डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 हेतु अभ्यर्थी की आयु **01 जुलाई 2019 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो**। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार "यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।", देय होगी।

iii. **निवास** – ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।